

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 07 मई, 2005

क्रमांक 502/2005/600/सबा/चार संस्थागत वित्त संचालनालय के आदेश क्रमांक 143/सविसं/ई.ए.पी./05 दिनांक 31 मार्च 2005 की कण्डिका 3 में राज्य स्तरीय बाह्य सहायता परियोजना समिति गठित किये जाने का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि संबंधित विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रम के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने के पूर्व उस पर राज्य स्तरीय समिति का पूर्व अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा तथा इस हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण (Concept Note) तैयार किया जाये।

अतः राज्य शासन, एतद् द्वारा संबंधित विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किये गये संक्षिप्त विवरण (Concept Note) पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु "राज्य स्तरीय बाह्य सहायता परियोजना समिति" का गठन आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार करता है—

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. मुख्य सचिव   | - | अध्यक्ष    |
| 2. अपर मुख्य सचिव/<br>प्रमुख सचिव/सचिव,<br>वित्त विभाग  | - | सदस्य      |
| 3. अपर मुख्य सचिव/<br>प्रमुख सचिव/सचिव<br>संबंधित विभाग | - | सदस्य      |
| 4. संचालक<br>संस्थागत वित्त                             | - | सदस्य सचिव |

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

3/ इस आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के  
नाम से तथा आदेशानुसार

( डी.एस. मिश्र )

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग

पृ. क्रमांक 503/600/2005/रधा/घर  
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 07 मई 2005

- (1) शासन के समस्त विभाग
- (2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मंत्रालय, रायपुर
- (4) संचालक, संस्थागत वित्त, मंत्रालय, रायपुर
- (5) अपर संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय, मंत्रालय, रायपुर  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर साचेव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग